संख्याः 209/XXVII(7) प्र0श0/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (वे0 आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून दिनांक : 16नवम्बर 2006**

विषयः–विश्व बैंक पोषित/बांह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये सेवा शर्तो का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनायें संचालित की जा रही है, जोकि पूर्णतः/आंश्कि रूप से विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार के कार्मिकों को बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित कार्मिकों की बाह्य सेवा शर्तो के जो पैकेज निर्धारित किये गये है, वे भिन्न–भिन्न है तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण होने की दशा में उनके लिये निर्धारित बाह्य सेवा की मानक शर्तो के अनुरूप नहीं है।

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में सभी स्थानों पर बाह्य सेवा शर्ते समान होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कार्मिकों की सेवा शर्ते भी सरकारी कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्तो (प्रारूप संलग्न) के अनुरूप होगी। पूर्व में यदि भिन्न शर्ते स्वीकृत की गयी है तो वे उपरोक्तानुसार संशाधित मानी जायेगी, किन्तु विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकार की परियाजनाऐं चलाये जाने की दशा में इन परियोजनाओं में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात कार्मिकों पर संलग्न बाह्य सेवा की मानक शर्ते लागू नहीं होगी तथा उन्हें निम्नलिखित शर्तो के अधीन परियोजना भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जिन दरों पर बाह्य सेवा की स्थिति में प्रतिनयुक्ति भत्ता अनुमन्य होता हैः–

1. सेवा स्थानान्तरण पर चयन विधिवत किसी चयन समिति के माध्यम से हुआ हो।
2. परियोजना के सुस्पष्ट निश्चित उद्देश्य हो तथ जिन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो।
3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, सचिवालय।
5. सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकार, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

1. नियुक्ति/पदस्थापनः– निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जा सकता हैः–

विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी तथा प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्तता के सिद्धान्त के आधार पर ऐसे कार्मिक भी नियुक्ति के पात्र होगें, जो स्वीकृत पद के ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत हो।

प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक को यह विकल्प रहेगा कि वह अपना संवर्गीय मूल वेतनमान में मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता ले अथवा नियुक्ति के पद का वेतनामान।

सृजित पदो के वेतनमान से भिन्न वेतनमान के कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति मे उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग द्वारा पृथक से विचार किया जायेगा।

बाह्य सेवा की अवधि में यदि कार्मिक उसी स्टेशन पर रहता है, जहाँ उसकी तैनाती है, तो उन्हें वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन से बाहर हो, तो वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू0 22,000 प्रतिमाह से अधिक न हो।

2. महँगाई भत्ताः–

सभी पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों को बाह्य सेवा पर महँगाई भत्ता उत्तराखण्ड सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा।

तथा

नगर प्रतिकर भत्ता/पर्वतीय प्रतिकर भत्ता संबंधित स्टेशन पर समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के कार्मिक को स्वीकृत दर अनुमन्य होगा।

3. मकान किराया भत्ताः–

बाह्य सेवा पर मकान किराया भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिन्हें पी0एम0यू0/आई0टी0डी0ए0/पैतृक विभाग/प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों तथा सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता ऐसे योग्य कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप में संलग्नक 1 पर 2 प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर दोगुने अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।

4. परियोजना भत्ताः–

बाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि में नियुक्त कार्मिकों को निम्नवत मासिक परियोजना भत्ता अनुमन्य होगा।

क्र0 सं0	कार्मिकों की श्रेणी	अनुमन्य मासिक भत्ता
I	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 4500 प्रतिमाह है।	रु0 600
II	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 4501 से रु0 7999 प्रतिमाह तक है।	रु0 800
III	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान सीमा का अधिकतम रु0 8000 से रु0 15199 तक है।	रु0 1200
IV	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 15200 प्रतिमाह या इससे अधिक है।	रु0 1500

5- चिकित्या सुविधा–

वाह्य सेवा में कार्यरत पूर्णकालिक कार्मिकों को प्रतिवर्ष एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महॅगाई भत्ता) की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित उपचार पर बावचर प्रस्तुत करने पर देय होगी, किन्तु किसी भी कार्मिक को वाह्य सेवायोजक द्वारा चिकित्सीय भत्ता देय नही होगा। सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें पूर्व से अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से कम सुविधा उपलब्ध नही होगी।

6. यात्रा भत्ता–

पी0एम0यू0/प्रोजेक्ट सेल आदि में कार्यरत् अधिकारियों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये निम्नवत् यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा– राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के कार्मिको के समान नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्य के भीतर की गई यात्रा के दौरान ठहरने के लिये सरकारी व्यवस्था/विभागीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल विकास निगम के आवास गृहों में तद्समय प्रचलित दैनिक दरों की सीमा तक बाउचर प्रस्तुत करने पर ठहरने की अनुमति होगी और तदनुसार ही धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रदेश के बाहर परियोजना कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के पूर्णकालिक कार्मिकों को अनुमन्य दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता, रसीद प्रस्तुत करने पर उक्त सीमा तक ही अनुमन्य होगा। विशिष्ठ परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय ले सकते है।

7. दूरभाष सुविधा–

वेतनमान रु0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान के कार्मिकों को आवासीय दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी। अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में आवासीय दूरभाष उपलब्ध कराने हेतु विभागीय सचिव एवं वित्त विभाग का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवश्यकता का विवरण स्पष्ट होने पर संचालन मंडल के निर्णयों के क्रम में सीमित फोन भत्ता (मोबाइल फोन भी शामिल) दिया जा सकता है।

8. अवकाश यात्रा सुविधाः–

अवकाश यात्रा सुविधा वर्ष में एक बार संबंधित वर्ष की एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक अनुमन्य होगी, बशर्ते कार्मिक व उसके परिवार द्वारा वास्तव में यात्रा करते हुए न्यूनतम 15 दिन को उपार्जित अवकाश लिया गया हो तथा यात्रा टिकट प्रस्तुत किए गये हो, जिस वर्ष अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत की जायेगी उस वर्ष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

9. व्ययों की प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र):–

वेतनमान रू0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को बिल वाउचर प्रस्तुत करने पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं के क्रय हेतु रू0 200.00 प्रतिमाह की सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

10. अन्यः–

1.उक्त शर्तो में कार्मिक से तात्पर्य उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के अधीन गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कोर्डिनेशन यूनिट (पी0एम0यू0)/इनफारमेशन टेक्नालॉजी डेवलमेंट एजेंसी (आई0टी0डी0ए0)/विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं/प्रोजेक्ट सैलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है।

2. उक्त प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों में कार्यरत कार्मिकों की अन्य सेवा शर्ते उत्तरांचल शासन/ राज्य स्तरीय प्रबन्धन इकाई एवं निर्धारित सक्षम प्राधिकारी/प्रक्रिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।